प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ

सेवा में,

रजिस्ट्रार (जनरल)
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ,
नई दिल्ली।

पत्रांक– 12 /पी0सी0बी0–जॉच/2026 OA – 47/2026 दिनांक– 3–04–2026

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0– 47/2026 विजित तालियान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 05.02.2026 के क्रम में संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंश निम्नवत् है–

".....10. The District Magistrate, Meerut will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities.

11. Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned Registrar General of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are considered to be necessary.

12. The District Magistrate, Meerut is directed to ensure requisite compliance and submission of reports within specified period and in case of non-compliance, exemplary costs may be imposed by this Tribunal on the District Magistrate, Meerut and concerned officers/authorities.

13. The present original application is disposed of accordingly......"

उक्त के अनुपालन में त्रिस्तरीय संयुक्त जॉच समिति (सहायक पर्यावरण अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ/अपर जिलाधिकारी–नगर, मेरठ/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ) की जॉच व अनुपालन आख्या दिनांक 16–3–2026 संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

03/04/2026

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या OA-47/2026 VIJIT TALIYAN VS STATE OF U.P & ORS में पारित दिनांक 05.02.2026 में पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा आदेश

मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या OA-47/2026 VIJIT TALIYAN VS STATE OF U.P & ORS में दिनांक 05.02.2026 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया (प्रभावी अंश)

"Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Meerut and Divisional Forest Officer, Meerut and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.10. The District Magistrate, Meerut will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities. 11. Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned. Registrar General of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are considered to be necessary. 12. The District Magistrate, Meerut is directed to ensure requisite compliance and submission of reports within specified period and in case of non-compliance, exemplary costs may be imposed by this Tribunal on the District Magistrate, Karnal and concerned officers/authorities. 13. The present original application is disposed of accordingly.14. However, in case the applicant or concerned project proponent having any grievances against the report of the Joint Committee or action taken by the concerned authorities, the Applicant or the concerned project proponent may move this Tribunal by way of appropriate proceedings for such further orders as may be considered necessary.15. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Uttar

Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Meerut and the Divisional Forest Officer, Meerut by email for requisite compliance."

वादी श्री विजित तालियान की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में शिकायत'

वादी श्री विजित तालियान के पत्र दिनांक 17.10.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ''मेरठ कॉलेज परिसर एवं उससे संबंधित जाफरा वाले बाग में हजारो हरे–भरे पेड़ो की अवैध कराई सम्बंधी शिकायत'' की गई जिसे वाद संख्या OA-47/2026 के रूप मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पंजीकृत किया गया। वादी की शिकायत निम्नानुसार है:–*''महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक प्रकरण लाना चाहता हूँ। जानकारी के अनुसार, मेरठ कॉलेज की प्रबन्ध समिति के सचिव श्री विवेक गर्ग द्वारा कॉलेज परिसर से लगभग 100 से अधिक हरे.भरे पेड़ तथा कॉलेज से संबंधित जाफ़रा वाले बाग से लगभग 1000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से कटवाकर बेचे जा चुके हैं। यह कृत्य न केवल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अन्य प्रासंगिक पर्यावरणीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह पर्यावरण असंतुलन पैदा करने वाला, समाज एवं जनहित के प्रतिकूल तथा दंडनीय अपराध भी है। यह कार्य पर्यावरण विनाश के साथ.–साथ भविष्य की पीढ़ियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उक्त प्रकरण की शिकायत छात्रों द्वारा बार–बार वन विभाग एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी के समक्ष की जा चुकी है, किन्तु खेद का विषय है कि छः माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस गंभीर पर्यावरणीय अपराध की न्यायोचित एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।''*

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 *का* अनुपालन

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुपालन एवं वादी की शिकायत दिनांक 17.10.2025 के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण बोड मेरठ व अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ की संयुक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक 16.03.2026 द्वारा वादी की उपस्थिति के वादी द्वारा बताए गए तथा शिकायत में उल्लिखित स्थलो पर निरीक्षण किया गया जिसके क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:–

1. प्राचार्य मेरठ कॉलेज, मेरठ ने अपने पत्रांक 4197/XXVII-I. दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक प्रभाग ,मेरठ से मेरठ कॉलेज के ओडोनल हास्टल के पन्द्रह से दस वर्ष से बन्द होने के कारण, सफाई कार्य हेतु उक्त हास्टल में खडे पेडो को कटवाने का अनुरोध किया गया।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ की आख्या के उपरान्त इस प्रभागीय निदेशक सामाजिक प्रभाग ,मेरठ के पत्रांक 2180 / 11–37बी दिनांक 20.11.2024 द्वारा ओडोनल हॉस्टल में नीम वृक्षों को छोड़कर झाडीनुमा वृक्षों की शाखाओ की छटाई की अनुमति प्रदान की गयी।
3. दिनांक 11.06.2025 को वादी विजित तालियान द्वारा मेरठ कॉलेज के छात्रवास में वृक्षो के काटे जाने की शिकायत तत्कालीन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ से की गयी की गई जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ को मौके पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया है मौके पर पहुचने पर छात्रावास परिसर में पापडी, शहतूत, कीकर, सिरस, सूबबूल इत्यादि वृक्षों के ठूठ पाए गए जिसके क्रम में मेरठ कॉलेज के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा–4 / 10 के अन्तर्गत वन अपराध संख्या (एच–2 केस)–18 / 2025–26 / मेरठ रेंज दिनांक 11.06.2025 दर्ज किया गया।
4. उक्त वन अपराध में अपनी गलती स्वीकार करते हुए मेरठ कॉलेज द्वारा वन अपराध का प्रतिकर रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र), ई–3 रसीद संख्या–079 दिनांक 16.09. 2025 वन विभाग को अदा किया गया जिसे नियमानुसार राजकोश में जमा कराया गया।
5. मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक 16.03.2026 को वादी की उपस्थिति में उनके बताए गए एवं शिकायत में उल्लिखित स्थानों पर पहुँच कर संयुक्त जाँच समिति द्वारा स्थलीय जाँच की गई। वादी द्वारा ओडोनल हॉस्टल में पूर्व में वृक्षों के पातन किये स्थल को दिखाया गया, जाँच एवं वन विभाग के विभागीय अभिलेखो के अनुसार उक्त ओडोनल छात्रवास में वृक्षों का बिना अनुमति एवं छटाई की अनुमति की आड में वृक्षो के काटे जाने के सम्बन्ध में वन अपराध संख्या 18 / 2025–26 / मेरठ रेंज दर्ज किया गया तथा उक्त का प्रतिकर रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) मेरठ कॉलेज से वसूला जा चुका है, साथ ही कुछ अन्य स्थल भी दिखाए गए जहाँ पर निर्माण आदि कार्यो के दौरान झाडी सफाई करने जैसा प्रतीत हुआ परन्तु उक्त पूर्व अवैध पातन से अलग कोई वृक्षो के अवैध पातन के अवशेष साक्ष्य या ऐसा कुछ प्रतीत नही दिया कि उक्त स्थलो पर वृक्षो का पातन हुआ है। उक्त के उपरान्त वादी द्वारा संयुक्त समिति को मेरठ कॉलेज के निकट जाफरावाला बाग में ले जाया गया जहाँ उसके द्वारा बताए गए स्थल की जाँच की गई जहाँ उसके द्वारा 01 ठूठ कीकर प्रजाति का दिखाया गया, उक्त ठूठ काफी पुराना पाया उक्त के अतिरिक्त उक्त स्थल पर भी उक्त ठूठ के अतिरिक्त, वृक्षो के बडी संख्या में वृक्षों के पातन के अवशेष नही मिले जैसा कि वादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार संयुक्त जाँच समिति उक्त स्थलीय जाँच दिनांक 16.03.2026 के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि वादी द्वारा बताए गए स्थलो पर पूर्व में अवैध पातन किये गए वृक्षो/स्थल के संबंध में वन विभाग द्वारा पूर्व में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है उक्त के अतिरिक्त वादी की शिकायत में उल्लिखित व् वादी द्वारा संयुक्त जाँच समिति को दिखाए गए स्थलों पर वृक्षों के अवैध पातन के साक्ष्य संयुक्त जाँच समिति को नहीं पाए गए, निर्माण कार्यो के दौरान झाडी सफाई इत्यादि पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संलग्नकः– संयुक्त निरीक्षण जी0पी0एस फोटोग्राफ।

(योगेश कुमार मिश्र)	16/3/26 (बृजेश कुमार)	16.3.26 (वन्दना)
सहायक पर्यावरण अभियंता,	अपर जिलाधिकारी (नगर)	प्रभागीय निदेशक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,	मेरठ।	सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ		मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक 11/G/0A/T4/2026 दिनांक 02-04-2026

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

16/3/26

(बृजेश कुमार सिंह)

अपर जिलाधिकारी(नगर)

मेरठ।

प्रो0 मनोज कुमार रावत
प्राचार्य

मेरठ कॉलेज,
मेरठ–250 001
उ0 प्र0, (भारत)

College with Potential for Excellence (UGC)
STAR STATUS (DBT, Govt. of India)

पत्रांक 4197/XXVIII-/

दिनांक 12/11/2024

सेवा में,

डी0एफ0ओ0
वन विभाग अधिकारी,
मेरठ।

महोदय,

निवेदन यह है कि महाविद्यालय में ओडोनल हास्टल लगभग पन्द्रह बीस वर्ष से बन्द पडे है। जिनकी साफ सफाई करानी अति आवश्यक है। जिसमें कुछ जगंली पेड भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हास्टल की साफ सफाई तथा जंगली पेड कटवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

आवेदन सं0 173 दि0 13-11-2024

भवदीय,

12/11/2024

(प्रो0 मनोज कुमार रावत)
प्राचार्य

12/11/24

R0 मेरठ
कृपया जांच कर कार्यवाही करें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

16/11/24

309

दूरभाष संख्या – 0121 – 2663866
E-mail - dfomeerut@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

(223/1 सिविल लाईन, मेरठ – 250 001)

पत्रांक / 11–37बी दिनांक मेरठ, 20 नवम्बर 2024.

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेरठ।

विषयः– मेरठ कालेज परिसर में ओडोनल हास्टल में झाडियों की सफाई /छटाई की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्राचार्य मेरठ कालेज, मेरठ ने अपने पत्रांक 4197/XXvii-1 दिनांक 12.11.2024 प्रस्तुत कर महाविद्यालय में ओडोनल हास्टल लगभग प्रन्दह बीस वर्ष से बन्द होने के सफाई कार्य कराने का उल्लेख करते हुए उसमें कुल जंगली पेड़ है, जिनको कटवाने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ ने अपने पत्रांक 185/22–1 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मेरठ कालेज परिसर में स्थित ओडोनल हास्टल की दीवार–छत पर स्वयं उगे हुए नीम, कंजी, पापड़ी व शहतूत इत्यादि के झाड़ीनुमा खड़े है तथा ओडोनल हास्टल परिसर में स्थित नीम वृक्षों को छोड़ते हुए स्वयं उगे झाडीनुमा वृक्षों की छटाई सुरक्षा की दृष्टि से करने की संस्तुति की गयी है। आपकी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2024 के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से ओडोनल हास्टल परिसर में स्थित नीम वृक्षों को छोड़कर झाडीनुमा वृक्षों की छटाई की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि बाधक शाखाओं की छटाई पर आने वाले व्यय को आवेदक/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्याः 2180 /22–1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्राचार्य मेरठ कालेज, मेरठ को उनके पत्रांक 4197/XXvii-1 दिनांक 12.11.2024 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

Prof A B Chandramali
for n.a.
21/11/2024
(Principal)
21/11/24

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी मेरठ रेंज
पत्रांक 184 /991 दिनांक 16/11/2024

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
मेरठ

विषय :- मेरठ कॉलेज, मेरठ के पत्रांक [illegible] दिनांक-12/11/2024 की जांच आख्या।

संदर्भ :- सं०-173/मेरठ दिनांक 13/11/2024.

महोदय,
उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में मेरठ कॉलेज, मेरठ परिसर में स्थित ओशनिक हॉस्टल प्रांगण की मौके स्थलीय जांच श्री मोहित सिंह वन दरोगा के द्वारा उक्त कॉलेज के प्रतिनिधि श्री प्रवीन कुमार को साथ लेकर उपरोक्त हेतु की गयी।

महोदय अवगत कराना है कि मेरठ कॉलेज, मेरठ परिसर स्थित ओशनिक हॉस्टल जो लगभग पन्द्रह-बीस वर्ष से बन्द पड़ा है। हॉस्टल परिसर प्रांगण के नीम, शीशम, पापड़ी, शहतूत इत्यादि के वृक्ष स्वयं उगे हुए हैं जो झाड़ीनुमा होकर परिसर में आच्छादित हैं तथा हॉस्टल बिल्डिंग की दीवारों पर पीपल, बरगद के वृक्ष उगे हुए हैं जो बिल्डिंग को क्षति पहुंचा रहे हैं। जिनकी कटाई हेतु उक्त महाविद्यालय अनुमति चाहता है। महोदय उक्त परिसर के अन्दर नीम वृक्षों को छोड़ते हुए उक्त एवं उक्त झाड़ीनुमा वृक्षों की कटाई उक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए जनहित/प्रस्तावित की जानी आवश्यक है।

अतः आप की जांच आख्या सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - उक्त स्थल के फोटोग्राफ

PA
प्र० नि०
04/11/24

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

प्रा० (डा०) [illegible] श्री चन्द्रमौलि 6397538648

वन आकार–पत्र — एच–2

बुक नं0 A 52 R(No 18/2025-26 /मेरठ

क्रमांक

वन विभाग उ0 प्र0 परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) मेरठ

उ0 प्र0 वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 4 व 10

वन अपराध की धारा ______ प्रसूचना (रिपोर्ट सं0) 2574 दि0 11/06/25 अधिक्षेत्र (रेन्ज) [illegible]

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान (1) [illegible] कुमार [illegible] प्रभारी [illegible] मेरठ (2) [illegible]

2. साक्षी का नाम [illegible]

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि0 11/06/2025 [illegible]

4. मूल्य [illegible]

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन [illegible]

[illegible] कार्यवाही [illegible] को

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख [illegible]

[illegible] उक्त वृक्षों के [illegible] के [illegible] में मेरठ [illegible]

[illegible]

उ0 प्र0 वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा [illegible] का उल्लंघन [illegible] अपराध किया है।

[illegible]

[illegible] मेरठ

[illegible] 10/[illegible] 2025/[illegible]

ई–3

वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

..............................वन प्रभाग

बुक नं0: 26 0 नं0 079

______________ वन विभाग ______________

श्री ______________

से मुबलिग रूपये ______________

बाबत ______________ प्राप्त किये ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

दिनांक

18/

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्याः 13773 /जे0ए0प्रथम/एन0जी0टी0/2026 दिनांकः 06-03-2026

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 47/2026 विजित तालियान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 05.02.2026 को पारित आदेश के क्रम में आवेदक श्री विजित तालियान द्वारा मेरठ कालिज परिसर एवं उससे संबंधित जाफरा वाले बाग में हजारों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में की गयी शिकायत पर जांच हेतु।

1– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुरम, मेरठ।

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1904/जी/ओए-47/2026/एमआरटी/2026 दिनांक 18.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 47/2026 विजित तालियान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 05.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में मेरठ कालिज परिसर एवं उससे संबंधित जाफरा वाले बाग में हजारों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में आवेदक की शिकायत की जांच आवेदक एवं संबंधित प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के प्रतिनिधि के साथ किये जाने एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन किये जाने, नियमानुसार रेमेडियल एक्शन लिये जाने तथा अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए जांच आख्या 02 सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जांच कर, जांच आख्या समयान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

6/3/26
(बृजेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(नगर),
मेरठ।

कोर्टकेस

07/3/2026

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

पत्रांक– 1904/G/OA-47/2026/MRT/2026 दिनांक– 18/02/2026

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक श्री विजित तालियान, विद्यार्थी मेरठ, द्वारा मेरठ कालेज परिसर एवं उससे संबंधित जाफरा वाले बाग में हजारों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई संबंधी प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक–17/10/2025 एवं 27/08/2025 के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 47/2026 Vijit Taliyan V/s State of Uttar Pradesh and Ors. में दिनांक–05/02/2026 (छायाप्रति संलग्न) को पारित आदेश के अंश निम्नयत हैं–

"....8. *In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with environmental laws/norms applicable to the activity in question.*

9. *Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Meerut and Divisional Forest Officer, Meerut and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.*

10. *The District Magistrate, Meerut will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities.*

11. *Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned Registrar General of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are considered to be necessary.*

12. *The District Magistrate, Meerut is directed to ensure requisite compliance and submission of reports within specified period and in case of non-compliance, exemplary costs may be imposed by this Tribunal on the District Magistrate, Karnal and concerned officers/authorities.*

13. *The present original application is disposed of accordingly.*

14. *However, in case the applicant or concerned project proponent having any grievances against the report of the Joint Committee or action taken by the concerned authorities, the Applicant or the concerned project proponent may move this Tribunal by way of appropriate proceedings for such further orders as may be considered necessary.*

15. *A copy of this order be sent to the Member Secretary, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Meerut and the Divisional Forest Officer, Meerut by email for requisite compliance. ...*"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 47/2026 Vijit Taliyan V/s State of Uttar Pradesh and Ors. में दिनांक–05/02/2026 को पारित आदेश के अनुपालन में मेरठ कालेज परिसर एवं उससे संबंधित जाफरा वाले भाग में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में आवेदक की शिकायत की जांच आवेदक एवं संबंधित प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के प्रतिनिधि के साथ किये जाने एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन किये जाने, नियमानुसार रेमेडियल एक्शन लिये जाने, तथा अनुपालनात्मक कार्यवाही संबंधी आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नलिखित विभागों की संयुक्त जांच समिति गठित की जाती है–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
2. अपर जिलाधिकारी(नगर), मेरठ, प्रतिनिधि जिलाधिकारी, मेरठ।
3. सहा0पर्या0अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

उक्त गठित समिति को आदेशित किया जाता है कि मा0अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में 02 सप्ताह के अंदर आवदेक एवं संबंधित प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के साथ स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की निरीक्षण आख्या, नियमानुसार लिये गये रेमेडियल एक्शन तथा अनुपालनात्मक कार्यवाही संबंधी विस्तृत निरीक्षण आख्या एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
2. अपर जिलाधिकारी(नगर), मेरठ।
4. सहा0पर्या0अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

17.04.2026

जिलाधिकारी, मेरठ

प्रो0 मनोज कुमार रावत
प्राचार्य

मेरठ कॉलेज,
मेरठ–250 001
उ० प्र०, (भारत)

College with Potential for Excellence (UGC)
STAR STATUS (DBT, Govt. of India)

पत्रांक 4197/XXVIII-/ दिनांक 13/11/2024

सेवा में,

डी०एफ०ओ०
वन विभाग अधिकारी,
मेरठ।

महोदय,

निवेदन यह है कि महाविद्यालय में ओडोनल हास्टल लगभग पन्द्रह बीस वर्ष से बन्द पडे है। जिनकी साफ सफाई करानी अति आवश्यक है। जिसमें कुछ जगंली पेड भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हास्टल की साफ सफाई तथा जंगली पेड कटवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

आवेदन सं० 173 दि० 13-11-2024

RO. मेरठ
कृपया जांच कर कार्यवाही करें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

भवदीय,
12/11/2024
(प्रो0 मनोज कुमार रावत)
प्राचार्य
12/11/24

16/11/24

309

दूरभाष संख्या – 0121 – 2663866
E-mail – dfomeerut@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

(223/1 सिविल लाईन, मेरठ – 250 001)

पत्रांक / 11–37बी दिनांक मेरठ, 20 नवम्बर 2024.

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेरठ।

विषयः– मेरठ कालेज परिसर में ओडोनल हास्टल में झाडियों की सफाई /छटाई की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्राचार्य मेरठ कालेज, मेरठ ने अपने पत्रांक 4197/XXvii-1 दिनांक 12.11.2024 प्रस्तुत कर महाविद्यालय में ओडोनल हास्टल लगभग प्रन्दह बीस वर्ष से बन्द होने के सफाई कार्य कराने का उल्लेख करते हुए उसमें कुल जंगली पेड़ है, जिनको कटवाने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ ने अपने पत्रांक 185/22–1 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मेरठ कालेज परिसर में स्थित ओडोनल हास्टल की दीवार–छत पर स्वयं उगे हुए नीम, कंजी, पापड़ी व शहतूत इत्यादि के झाड़ीनुमा खड़े है तथा ओडोनल हास्टल परिसर में स्थित नीम वृक्षों को छोड़ते हुए स्वयं उगे झाड़ीनुमा वृक्षों की छटाई सुरक्षा की दृष्टि से करने की संस्तुति की गयी है। आपकी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2024 के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से ओडोनल हास्टल परिसर में स्थित नीम वृक्षों को छोड़कर झाड़ीनुमा वृक्षों की छटाई की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि बाधक शाखाओं की छटाई पर आने वाले व्यय को आवेदक/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्याः 2180 /22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्राचार्य मेरठ कालेज, मेरठ को उनके पत्रांक 4197/XXvii-1 दिनांक 12.11.2024 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

Prof. A.B. Chandramohan
for n.a.
21/11/2024
(Principal)
21/11/24

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी मेरठ रेंज
पत्रांक 184 991 दिनांक 16/11/2024

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
मेरठ

विषय :- मेरठ कॉलेज, मेरठ के पत्रांक 4147/XXVI-E दिनांक-12/11/2024. पर जांच आख्या

संदर्भ :- सं०-173/मेल दिनांक 13/11/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित स्ल पत्र के क्रम में मेरठ कॉलेज, मेरठ परिसर के स्थित ओसमन हॉस्टल प्रांगण की मौके स्थलीय जांच श्री मोहित सिंह वन दरोगा के द्वारा उक्त कॉलेज के प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार को साथ लेकर संयुक्त रूप से की गयी।

महोदय अवगत कराना है कि- मेरठ कॉलेज, मेरठ परिसर स्थित ओसमानुमा हॉस्टल जो लगभग पन्द्रह-बीस वर्षों से बन्द पड़ा है। हॉस्टल परिसर प्रांगण के नीम, कंजी, पापड़ी, शहतूत इत्यादि के वृक्ष स्वयं उगे हुये पेड़ है जो झाड़ीनुमा होकर परिसर में आच्छादित है तथा हॉस्टल बिल्डिंग की दीवारों पर पीपल, बरगद के वृक्ष उगे हुये है जो बिल्डिंग को क्षति पहुँचा रहे हैं। जिनकी कटाई हेतु उक्त महाविद्यालय अनुमति चाहता है। महोदय उक्त परिसर के नीम वृक्षों को छोड़ते हुये उक्त एवं उक्त झाड़ीनुमा वृक्षों की कटाई उक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए जनहित/सुरक्षार्थ की जानी आवश्यक है।

अतः मौके की जांच आख्या सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - उक्त कॉलेज के [illegible]

PA
प्र० नि० 18/11/24

भवदीय,
[illegible]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

प्रो०(डा०) ई० वी चन्द्रमौलि 6397538648

बुक नं० **A** 52 RC No. 18/2025-26/मेरठ रेंज वन आकार-पत्र — एच-2

क्रमांक

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) मेरठ

उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 4/10

वन अपराध की धारा .... प्रसूचना (रिपोर्ट सं०) 2574 दि० 11/06/25 अधिक्षेत्र (रेन्ज)

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान — (1) प्रमोद कुमार रावत, प्राचार्य, मेरठ कॉलेज मेरठ (2) विवेक गर्ग, सचिव, प्रबन्ध समिति, मेरठ कॉलेज मेरठ

2. साक्षी का नाम — श्री [illegible] कुमार, वनरक्षक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — दि० 11/06/2025 मेरठ कॉलेज मेरठ स्थित छात्रावास प्रांगण परिसर के निकट वृक्ष पाकड़, शहतूत, नीम, शीशम, यूकेलिप्टस इत्यादि वृक्षों का बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से पातन कराना।

4. मूल्य

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन — विभागीय कार्यवाही।

प्र० प्रस्तुत कार्य में अग्रिम RoVC [illegible] को

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख — महोदय, निवेदन है कि — उ०प्र० शासन (हेल्पलाइन) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में मौका स्थलीय जांच की गयी। मौका स्थलीय जांच में मेरठ कॉलेज मेरठ स्थित छात्रावास प्रांगण परिसर के पाकड़, शहतूत, नीम, शीशम, यूकेलिप्टस इत्यादि वृक्षों के 06 ठूंठ पाये गये।

महोदय उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मेरठ कॉलेज प्रबन्ध समिति से सक्षम अधिकारी की अनुमति के अभिलेख मांगे जाने पर प्रबन्ध समिति के पास कोई अनुमति/अभिलेख नहीं पाये गये। महोदय प्रबन्ध समिति, मेरठ कॉलेज मेरठ के द्वारा उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 4/10 का उल्लंघन कर 06 वृक्षों का अपराध किया है।

श्रीमान जी प्रपत्र प्रथम RoVC रूप में प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(मोहित सिंह)
वनरक्षक
मेरठ रेंज

ई–3

वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

मेरठ ....वन प्रभाग

बुक नं०: 26`0   नं० 079

वन विभाग

श्री

से मुबलिग रूपये 100.000=00

बाबत प्राप्त किये ।

दिनांक 16/07/2025

क्षेत्रीय वन अधिकारी
वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

शिकायतकर्ता
दाहिने से प्रथम

ADMCCJ

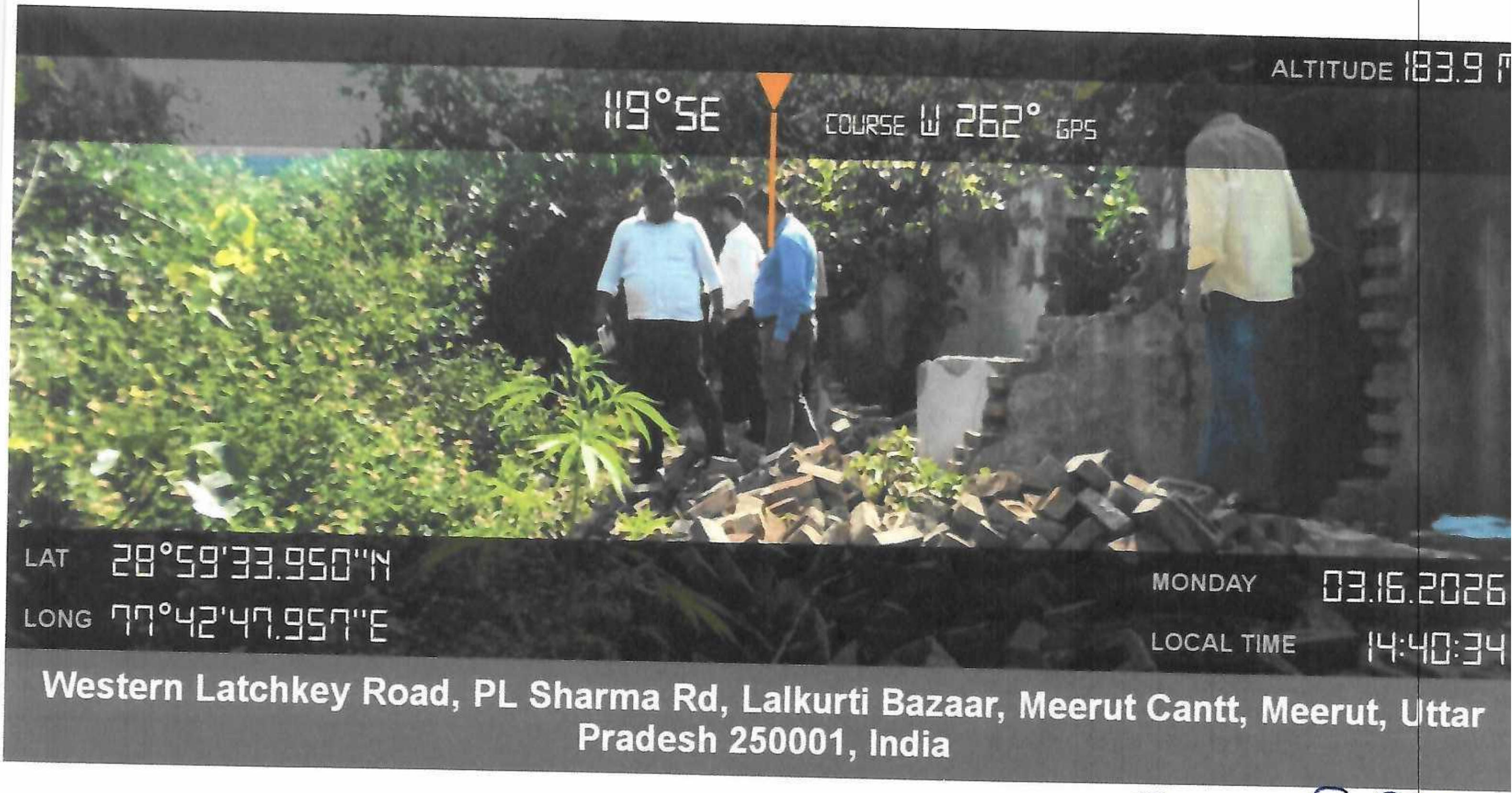

शिकायतकर्ता दाहिने से प्रथम

AEE

ADM(C)

शिकायतकर्ता बाएं से प्रथम

REE

ADM (C)

ALTITUDE
182.4 M
352°N
COURSE W 282° GPS
LAT 28°59'30.798"N
MONDAY 03.16.2026
LONG 77°42'49.914"E
LOCAL TIME 14:53:54
XPR7+MG9, Jawahar Quarters, Meerut Cantt, Meerut, Uttar Pradesh 250001, India

AEE ADM(C)

ALTITUDE
182.4 M
302°NW
COURSE NE 30° GPS
LAT 28°59'32.913"N MONDAY 03.16.2026
LONG 77°42'48.482"E LOCAL TIME 14:49:07
Meerut Court, Lalkurti Bazaar, Meerut Cantt, Meerut, Uttar Pradesh 250001, India

AEE ADM(C)

बुक नं० **A** 52 RC No: 18/2025-26 / मेरठ

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) मेरठ

वन अपराध की धारा उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 4 व 10 खण्ड (डिवीजन) मेरठ

प्रसूचना (रिपोर्ट सं०) 2574 दि० 11/06/25 अधिक्षेत्र (रेन्ज)

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

(1) प्रमोद कुमार रावत
प्राचार्य
मेरठ कालेज, मेरठ

(2) विवेक गर्ग
सचिव
प्रबन्ध समिति
मेरठ कालेज मेरठ

2. साक्षी का नाम

श्री विपिन कुमार वनरक्षक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

दि० 11/06/2025 मेरठ कालेज मेरठ स्थित हाथीखाना प्रांगण, परिसर में विद्यमान नीम, पाकड़, शहतूत, नीम, सागौन, यूकेलिप्टस इत्यादि वृक्षों का सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से पातन कराना।

4. मूल्य

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन विभागीय कार्यवाही

उ० प्र० ... समस्त आख्या रिपोर्ट ... को

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय, निवेदन है कि - उ० प्र० शासन ... (हाथीखाना) के अन्तर्गत ... की गयी शिकायत के क्रम में मौका स्थलीय जांच की गयी। मौका स्थलीय जांच में मेरठ कालेज मेरठ स्थित प्रांगण (एक हाथीखाना परिसर) में पाकड़, शहतूत, नीम, सागौन, यूकेलिप्टस, इत्यादि वृक्षों के कटे हुए ठूंठ पाये गये। महोदय उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मेरठ कालेज प्रबन्ध समिति से सक्षम अधिकारी की अनुमति की अभिलेख मांगे जाने पर प्रबन्ध समिति के पास कोई अनुमति के अभिलेख नहीं पाये गये। महोदय प्रबन्ध समिति, मेरठ कालेज मेरठ के द्वारा उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 4 व 10 का उल्लंघन कर ... वन अपराध किया है।

श्रीमान् जी प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट सेवा में प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

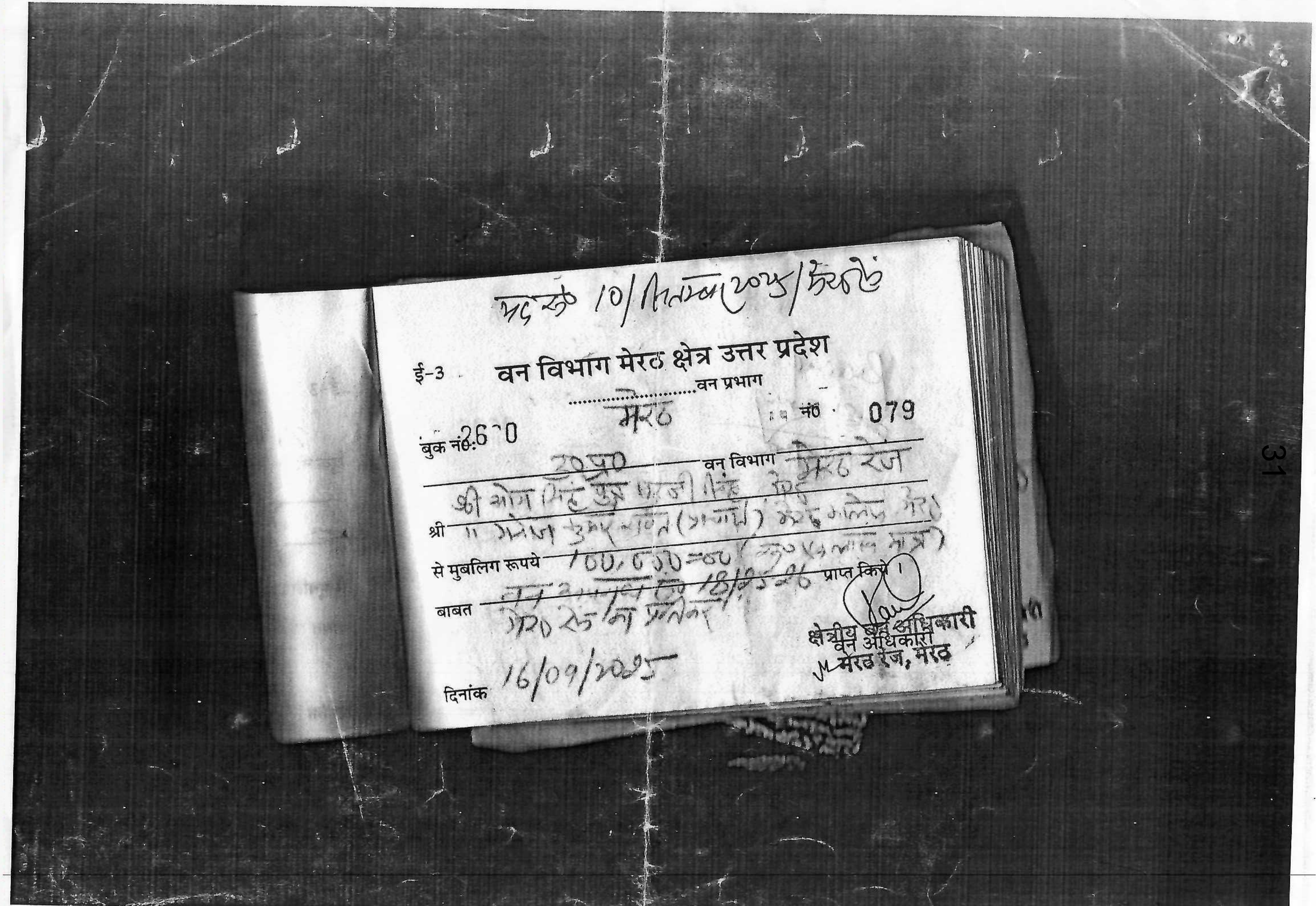

मद सं० 10/[illegible]

ई-3 वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

मेरठ वन प्रभाग

बुक नं० 26[illegible]0 नं० 079

उ०प्र० वन विभाग मेरठ रेंज

श्री [illegible]

श्री [illegible]

से मुबलिग रूपये 100,000=00 [illegible] प्राप्त किये।

बाबत [illegible]

दिनांक 16/09/2025

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ